भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4140
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कार्यभार से ग्रस्त पायलट और फ्लाइट क्रू

4140. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार केवल नए विमानपत्तनों के विकास पर ध्यान केंद्रीत कर रही है जबकि 106 हवाई मार्ग अभी भी चालू नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार घरेलू विमानन उद्योग में पायलटों की थकान और अधिक कार्यभार से ग्रस्त उड़ान कर्मियों के मुद्दों का किस प्रकार समाधान करती है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन मंत्रालय ने देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा किफ़ायती बनाने हेतु दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की है। और अधिक गंतव्यों तथा मार्गों को इस योजना के तहत शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं। इच्छुक एयरलाइनें, विशिष्ट मार्गों पर मांग की अपने आकलन के आधार पर, उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। कोई भी हवाईअड्डा जिसे उड़ान योजना के अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल किया जाता है, और जिसे उड़ान परिचालन शुरू करने के लिए स्तरोन्नयन/ विकास की आवश्यकता होती है उसका विकास 'असेवित एवं अल्पसेवित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार' योजना के तहत किया जाता है। हवाईअड्डे का विकास कार्य पूरा हो जाने पर और उसके तैयार हो जाने के उपरांत, चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) इन हवाईअड्डों को जोड़ने वाले अवार्ड किए गए उड़ान मार्गों पर परिचालन शुरू करते हैं। आज तक, उड़ान योजना के तहत 615 मार्गों पर परिचालन शुरू किया जा चुका है।

देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए, भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति 2008 के तहत अब तक, देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान की जा चुकी है, जिनमें से 12 हवाईअड्डों का परिचालन शुरू किया जा चुका है।

(ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घरेलू विमानन उद्योग में पायलटों में थकान और फ्लाइट क्रू के अत्यधिक कार्यभार के मुद्दों का समाधान करने के लिए नागर

विमानन अपेक्षा खंड 7, श्रृंखला ञ, भाग III (सीएआर 7/ञ/III) प्रकाशित किया है। तथापि, सीएआर 7/ञ/III माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

*****